

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकरसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- ११० / 2024

शंकर लाल बगान हनुमान
आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही 02.02.2024		विशेष विवरण
	<p>प्रार्थी की ओर से वकील रमेश चौधरी में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिमे नोटिस तालव कर दिनांक 18.04.2024 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अभिवक्ता को इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किया जाने पर बाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही अराफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अभिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अभिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रसंगत भूमिगत खुरद बुरद एवं हस्ततंत्रित करने व नवनिर्माण करने पर आयाता है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की आकरियकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम फतेहपुरावासवाटिका के खाता संख्या 146 पुराना 123 के खरास नंबर 1125, 1126, 1127, 166, कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.20 है0 खाता संख्या नया 238 पुराना 211 के खरास नंबर 168 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.45 है0 चाके ग्राम फतेहपुरावासवाटिका पटवार हल्का सीमल्यावासा तहसील चाकरसू का राजस्व रिकार्ड एवं गौके की गथास्थिति बनाने रखें। रथगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा सारतों के अगल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीगणों की नोटिस की तागील की सामान्य एवं साधारण प्रविन्सा के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिगा रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय निषेधाकारीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तागील की ठोस कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करे अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी।</p> <p>पत्रावली चारसे तागील हेतु दिनांक 18.04.2024 को पेश हो।</p>	

4/4/24

पत्रावली आज दफ्तर की पत्रावली के साथ तालव की जायेगी। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के सहने व तावा विडो होने के कारण डा. फर 21/2/24 का सिडो (आरटि) किया जाता है। डा. फर 21/2/24 का सिडो होने के न्यायालय का खगान आदेश दिनांक 21/2/24 का प्रभावहीन हो जागा है। पत्रावली बाद तहसील दामिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकरसू (जयपुर)

21/2/24
शंकर लाल बगान

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकरसू (जयपुर)